न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 07/2012
आर0सी0एम0एस0 प्रकरण संख्या : 2012/00260

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगणः–
1. सरकार जरिये तहसीलदार सोजत		1. धनाराम 2. ओमप्रकाश पि0 भुण्डाराम 3. डगरी बेवा भुण्डाराम 4. बोराराम, 5. बगदाराम पि0 पुनाराम जातिगण सरगरा निवासीगण खारिया नींव तहसील सोजत

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

उपस्थिति –

1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थी एवं उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता अनुपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांकः–31/12/2018

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी एवं उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता नियत तारीख पेशी पर अनुपस्थित रहे है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम ग्राम खारिया नींव के खसरा नम्बर 1048 रकबा 0.90 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की भूमि राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी का किसी भी रूप में कब्जा काश्त नहीं है। राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत आवंटित भूमि पर काश्त करना आवश्यक है, जबकि जैर प्रार्थना पत्र विवादित आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 से 5 का किसी भी रूप में कब्जा काश्त नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 से 5 द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है, जिसके कारण अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के पक्ष में हुआ आवंटन खारिज़ योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के पक्ष में हुए आवंटन को अपास्त करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। जैर प्रार्थना पत्र विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के नाम

अति० जिला कलक्टर, पाली

बतौर गैर खातेदार दर्ज है। पटवारी हल्का की मौका फर्द रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है। राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 के तहत आवंटन की जो शर्ते विहित है, उसके नियम 14 (3) के अनुसार आवंटिति को आवंटन के प्रथम वर्ष में भूमि के कम से कम 50 प्रतिशत भाग को जोतना पड़ेगा और शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष में जोतना आज्ञापक है। हस्तगत प्रकरण में आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर न तो कब्जा प्राप्त किया गया तथा न ही काश्त की गई है। यह स्थिति राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (3) का उल्लंघन है, जिसके कारण अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के पक्ष में किया गया आवंटन विधि सम्मत नहीं पाया जाता

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 से 5 को ग्राम खारिया नींव के खसरा नम्बर 1048 रकबा 0.90 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि का आवंटन दिनांक 30.07.1987 को अपास्त किया जाता है एवं तहसीलदार सोजत को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त भूमि को राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज कर भूमि को कब्जे राज लेवे। इस निर्णय की प्रतिलिपी तहसीलदार सोजत को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली
अति० जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 31/12/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली
अति० जिला कलेक्टर, पाली